फाइल संख्या-71-1001(099)/134/2021

85/2022/।/177219/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन0 चिकित्सालय में बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज के विस्तार/निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/125, दिनॉक 01-06-2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन0 चिकित्सालय में बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज के विस्तार/निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1230.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-153/2020/3541/71-1-2020-जी-121/2018टी0सी0, दिनॉक 01-12-2020 द्वारा प्रदान की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-123/2021/।/96725/2021-71-1001(099)/134/2021, दिनॉक 10.09.2021 द्वारा रू0 415.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 615.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध एस0आर0एन0 चिकित्सालय में बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज के विस्तार/निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में नर्सिंग कालेज हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 531.00 लाख में से रू0 307.62 लाख (रू0 तीन करोड़ सात लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।
8. शासनादेश संख्या-153/2020/3541/71-1-2020-जी-121/2018टी0सी0, दिनॉक 01-12-2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,07,62,000 (रूपये तीन करोड़ सात लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057500 मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज मं नर्सिंग कालेज मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8- नियोजन-अनुभाग-4
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।